

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक- 316 /2026

भोपाल, दिनांक - 01/9/26

//विधि आदेश//

माह सितम्बर 2026 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए जिला न्यायालय भोपाल के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्रं	रिमांड ड्यूटी हेतु न्यायिक अधिकारी का नाम	164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु न्यायिक अधिकारी का नाम	सितम्बर 26	काम्बिंग गश्त हेतु न्यायिक अधिकारी का नाम
1	श्री राहुल सिंह यादव	श्रीमती गजल पाहवा सिंह	4	सुश्री हेमलता अहिरवार
2	श्री आशीष मिश्रा	श्रीमती अंजली सिंह	5	श्री जयदीप मौर्य
3	श्री कृष्णकांत बागरे	सुश्री रानू रिछारिया	6	श्री राहुल कुमार नामदेव
4	श्री कपिल बौरासी	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	13	सुश्री रानू रिछारिया
5	श्री राहुल कुमार नामदेव	सुश्री हेमलता अहिरवार	14	श्रीमती तनुश्री शिवहरे
6	श्री जयदीप मौर्य	श्रीमती डिम्पल कश्यप	20	श्री कपिल बौरासी
7	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे	25	श्रीमती अंजली सिंह
8	श्रीमती मेघा अग्रवाल	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर	27	श्री कृष्णकांत बागरे

नोट :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए **मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश** का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा **प्रशिक्षण में** या **मुख्यालय से बाहर** जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अन्य आवश्यक परिस्थितियों में मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड **कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1** के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

3. उक्त शासकीय अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अकस्मात घोषित होता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण ड्यूटी संपादित करेंगे:-

माह	रिमांड ड्यूटी	164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु ड्यूटी	काम्बिंग गश्त हेतु ड्यूटी
सितम्बर 2026	कु. लक्ष्मी वास्कले	सुश्री शोभना भलावे	श्री आशीष मिश्रा

4. उक्त के अतिरिक्त पूर्व से घोषित उक्त अवकाश दिवसों में से किसी दिवस का अवकाश परिवर्तित होने की स्थिति में नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा ही अत्यावश्यक न्यायिक कार्य संपादित किया जावेगा।

5. यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं, तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी, तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल म0प्र0 द्वारा अनुमोदित।

सही / -

(अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल

पृ.कं./ 318 /2026

भोपाल, दिनांक 01/09/2026

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला भोपाल
 3. कम्प्यूटर अनुभाग, भोपाल (ई-मेल हेतु)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक- 317 /2026

भोपाल, दिनांक - 01/09/2026

//विविध आदेश//

माह सितम्बर 2026 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	सितम्बर 26
1	श्रीमती विभा आर्या	4
2	श्रीमती विभा आर्या	5
3	सुश्री निकिता पवार	6
4	सुश्री निकिता पवार	13
5	सुश्री रंजना डोडवे	14
6	सुश्री रंजना डोडवे	20
7	श्री अर्जित दुबे	25
8	श्री अर्जित दुबे	27

नोट :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अन्य आवश्यक परिस्थितियों में मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमाण्ड कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।



3. उक्त शासकीय अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अकस्मात घोषित होता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण ड्यूटी संपादित करेंगे:-

माह सितम्बर 2026 में श्रीमती विभा आर्या जेएमएफसी, बैरसिया भोपाल

4. उक्त के अतिरिक्त पूर्व से घोषित उक्त अवकाश दिवसों में से किसी दिवस का अवकाश परिवर्तित होने की स्थिति में नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा ही अत्यावश्यक न्यायिक कार्य संपादित किया जावेगा।

5. यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं, तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी, तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल म0प्र0 द्वारा अनुमोदित।

सही / -

(अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल

पृ.कं./ 319 /2026

भोपाल, दिनांक 01/09/2026

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तह. बैरसिया, जिला भोपाल
3. कम्प्यूटर अनुभाग, भोपाल (ई-मेल हेतु)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल